[2020] 3 उम. नि. प. 62

श्रीधर और एक अन्य

बनाम

एन. रेवन्ना और अन्य

[2020 की सिविल अपील सं. 1209]

11 फरवरी, 2020

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 133 [सपठित संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10, 13 और 126] – अपील – दाता द्वारा किसी अचल संपत्ति का दान करना – दाता द्वारा दान विलेख में, आदाता (चाहे अस्तित्व में हो या अजन्में व्यक्ति हों) पर यह प्रतिबंध लगाना कि वह दान में प्राप्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से अन्यसंक्रामण नहीं कर सकता है – आदाता द्वारा उक्त अचल संपत्ति का अन्यसंक्रामण करना – चुनौती – वाद खारिज होना – यदि दाता द्वारा कोई अचल संपत्ति आदाता को इस शर्त के अधीन दान किया जाता है कि वह उस संपत्ति का किसी भी प्रकार से अन्यसंक्रामण नहीं कर सकता है तो ऐसी शर्त शून्य होगी क्योंकि संपत्ति अधिनियमों में, दाता द्वारा दान विलेख में, यदि ऐसी कोई शर्त अधिरोपित की जाती है जो आदाता को दान में प्राप्त संपत्ति के अन्यसंक्रामण करने के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाती है तो ऐसी शर्त सर्वथा शून्य होगी और दान विधिमान्य होगा ।

वर्तमान मामले में, इस अपील का विनिश्चय करने के लिए मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि पक्षकारों को वाद में वर्णित रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा । श्री मुनिस्वामप्पा वादियों का पड़दादा और प्रतिवादी सं. 1 का दादा था जो वाद अनुसूचित संपत्ति का पूर्ण स्वामी था । श्री मुनिस्वामप्पा ने प्रतिवादी सं. 1 एन. रेवन्ना के पक्ष में तारीख 5 जून, 1957 को 2 दान विलेख निष्पादित किए । दान विलेख को मुनिस्वामप्पा द्वारा अपने पोता एन. रेवन्ना के पक्ष में निष्पादित किया

गया था । दान विलेख में एक शर्त यह भी अंतर्विष्ट थी कि आदाता और इसके पश्चात् उसके छोटे भाइयों का अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादी सं. 1 एन. रेवन्ना ने प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में तारीख 7 अक्तूबर, 1985, तारीख 8 अक्तूबर, 1985 और तारीख 10 अक्तूबर, 1985 के विक्रय विलेखों को निष्पादित किया । प्रतिवादी सं. 6 और 7 परिसरों के किराएदार थे । वादियों-अपीलार्थियों द्वारा 1995 की मूल वाद सं. 11133 को प्रतिवादी सं. 2 से 5 और प्रतिवादी सं. 6 और 7 के रूप में क्रेता एन. रेवन्ना, प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध फाइल की गई थी । वादियों का पक्षकथन यह था कि एन. रेवन्ना ने अपने दादा मुनिस्वामप्पा से तारीख 5 जून, 1957 के रजिस्ट्रीकृत दान विलेख द्वारा वाद संपत्तियों को प्राप्त किया था और दान विलेख के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 और उसके छोटे भाइयों जो जन्म ले सकते हैं, का वाद अनुसूचित संपत्तियों को अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । यह अभिवाक् किया गया था कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य है और वादी, प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र और मुनिस्वामप्पा के पड़पोते होने के नाते संपत्तियों के पूर्ण स्वामी हैं । दोनों वादी, अवयस्क थे और वाद, उनके वाद मित्र और संरक्षक दादी श्रीमती जयम्मा द्वारा फाइल किया गया था । प्रतिवादी सं. 1 ने वादियों के पक्षकथन का समर्थन करते हुए, लिखित कथन फाइल किया, यह कथन करते हुए कि क्योंकि उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता थी और उसे यह सद्भाविक विश्वास था कि संपत्ति विक्रय करने में कोई विधिक अड़चन नहीं थी । प्रतिवादी सं. 7 ने भी लिखित कथन फाइल किया था । प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने वादियों और उनके संरक्षक की सद्भावना को प्रश्नगत करते हुए एक सामान्य लिखित कथन फाइल किया था । उन्होंने यह अभिवाक् किया था कि वादियों को विक्रय करने के लिए विक्रेता द्वारा तैयार किया गया था । प्रतिवादी सं. 1 ने विक्रय से बचने की ईप्सा करते हुए, यह निरर्थक अभिवाक् किया है कि विक्रय विलेख में यह शर्त थी कि संपत्ति को प्रतिवादी द्वारा अन्यसंक्रामण नहीं किया जा सकता था । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने वाद संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया

है और वे यह भी साबित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी सं. 1 को संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । विचारण न्यायालय ने तारीख 31 नवम्बर, 2001 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा वादियों का वाद खारिज कर दिया था । वादियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित प्रथम अपील फाइल की गई थी । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्टत: त्रुटि कारित की है कि प्रतिवादी सं. 1 पर अधिरोपित शर्त शून्य थी । उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाया कि विक्रय विलेख के माध्यम से प्राप्त प्रतिवादी सं. 1 के फायदों को वापस वादियों को दिया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए, वाद को भागत: मंजूर कर लिया । उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, वादियों ने यह अपील फाइल की है । न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – इस अपील में, विचार करने और उसका उत्तर देने के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि 'क्या प्रतिवादी सं. 1 को तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख के अधीन वाद संपत्तियों का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार था ?' विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दान विलेख में यह शर्त कि आदाता संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने के लिए अर्ह नहीं होगा, शून्य था और प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में विक्रय विलेखों को विधिमान्य तौर पर निष्पादित किया है । परिणामत:, विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत मत लिया कि दान विलेख की उपर्युक्त शर्त शून्य नहीं थी । आगे, उच्च न्यायालय ने दान विलेख को बातिल नहीं किया बजाय इसके वादियों को यह सीमित अनुतोष मंजूर किया कि वादी उस प्रतिफल को वापस पाने का हकदार है जिसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 1985, तारीख 8 अक्तूबर, 1985 और 10 अक्तूबर, 1985 के तीन विक्रय विलेखों के निष्पादन द्वारा प्राप्त किया गया था । शेष प्रार्थना के लिए वादियों का वाद खारिज कर दिया गया था । न्यायालय क्रमश: निवेदनों पर विचार करने के पूर्व, तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख के सुसंगत भागों का परिशीलन करना आवश्यक

समझते हैं । दान विलेख को मुनिस्वामप्पा द्वारा नगर निगम सं. 324 और 325 के परिसरों का एकमात्र और पूर्ण स्वामी होने का दावा करते हुए निष्पादित किया गया था । प्रतिवादी सं. 1, एन. रेवन्ना अवयस्क था जिसकी आयु पांच वर्ष थी जिसका प्रतिनिधित्व उसके पिता, नैसर्गिक संरक्षक, एम. नारायणप्पा द्वारा किया गया था । दान विलेख में सुस्पष्टत: यह कथित है कि 'दाता तद्द्वारा, शपथपूर्वक इसके अधीन अनुसूची में वर्णित अचल संपत्ति को उपर्युक्त नामित आदाता को दान के माध्यम से अनुदान, हस्तांतरण, सौंपता और अंतरित करता है' । दाता के पक्ष में दान विलेख, पूर्ण था और वह दान विलेख में वर्णित शर्तों के अध्यधीन स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग कर सकता था । शर्तों में से एक शर्त जो दान विलेख में वर्णित थी, यह थी कि 'आदाता या उसके छोटे भाइयों जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते है, को किसी तरीके, विक्रय, दान, बंधक या अन्यथा, चाहे जो भी हो, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार नहीं है । दान विलेख में यह भी कथित है कि 'आदाता या उसके छोटे भाइयों जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं वे अपने या अपने जीवन-काल के दौरान, जैसी भी दशा हो, संपत्ति का उपभोग करेंगे और उसके या उनकी मृत्यु होने पर यह उसके या उनके पुरुष बच्चे जो उसके बाद जीवित रहते हैं, को न्यायगत हो जाएगी जिन्हें किसी तरीके से इसके अधीन अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के साथ संव्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी । इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है कि क्या प्रतिवादी सं. 1 जिसे अनुसूचित संपत्ति दान में दी गई थी, को किसी तरीके से, चाहे जो भी हो, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 का अवलंब लिया गया है । धारा 10 अभिव्यक्तत: यह उपबंध करता है कि जहां संपत्ति, जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अध्यधीन अंतरित की जाती है, जो अन्तरिती या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनित करने से आत्यन्तिकत: अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है । धारा 10 के अनुसार, कोई शर्त जो अंतरिती के

अन्यसंक्रामण करने के अधिकार को अवरुद्ध करती है, शून्य है । संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 के स्पष्ट परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख में यह शर्त कि प्रतिवादी सं. 1 संपत्ति का अन्यसंक्रामण नहीं करेगा, शून्य शर्त है । दान विलेख के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि मुनिस्वामप्पा ने अपने पोते एन. रेवन्ना को अचल संपत्ति दान में दी थी । दान, किसी अजन्में व्यक्ति के पक्ष में नहीं था बजाय इसके कि दान एन. रेवन्ना के पक्ष में था जो एक अवयस्क था, जिसकी आयु 5 वर्ष थी । आदाता और उसके छोटे भाइयों या उनके पुरुष बच्चों के प्रति निर्देश, दान विलेख में यथा अंतर्विष्ट शर्तों को वर्णित करते समय किया गया था । शर्त, आदाता और उसके छोटे भाइयों जो दान विलेख के निष्पादन के पश्चात् उत्पन्न हो सकते थे, पर अधिरोपित किए गए थे । अजन्में व्यक्तियों पर अधिरोपित शर्त उन व्यक्तियों के पक्ष में जो अस्तित्व में हैं, के पक्ष में दान विलेख का निष्पादन संपूर्णत: भिन्न है । इस प्रकार, दान, स्पष्टत: प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में था और न कि अजन्में व्यक्तियों के पक्ष में था, इस प्रकार, धारा 13, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती है । इस न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय स्पष्टत: प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल के इस निवेदन का समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में, धारा 13 लागू नहीं होती है । पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय की यह स्पष्ट राय है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी सं. 1 उस संपत्ति का अंतरण करने का हकदार नहीं था जिसे उसने तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख द्वारा प्राप्त किया था । वादी उस घोषणा के लिए हकदार नहीं है जैसा कि उन्होंने वाद में ईप्सित किया है । इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है । (पैरा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24 और 25)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 116 ए. एल. आर. 794 :
श्रीमती प्रेम काली बनाम
चकबंदी, उप निदेशक, सीतापुर और अन्य ; 19

[2004] (2004) 2 एस. सी. सी. 504 :
एफ. एम. देवारु गणपति भट्ट बनाम
प्रभाकर गणपति भट्ट ; 22

[1939] ए. आई. आर. 1939 इला. 221 :
श्रीमती बृज देवी बनाम **शिव नंद प्रसाद और अन्य** । 18

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2020 की सिविल अपील सं. 1209.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री जयंत कुमार सूद, ज्येष्ठ अधिवक्ता, बी. विश्वनाथ भंडारकर, सरबेंद्र कुमार, करुणाकर महालिक, एच. के. नायक, सूरज प्रकाश अहलावत, एम. उमाशंकर, नरेश कुमार, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से सर्वश्री एस. एस. जावली, ज्येष्ठ अधिवक्ता, पी. आर. रामाशीष, अब्दुल अजीम कालेबुडे, अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – वादियों ने यह अपील, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 2002 की नियमित प्रथम अपील सं. 69 में पारित तारीख 18 जनवरी, 2012 के निर्णय के विरुद्ध फाइल की है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वादियों-अपीलार्थियों की नियमित प्रथम अपील को भागत: मंजूर कर लिया था ।

2. इस अपील का विनिश्चय करने के लिए मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि पक्षकारों को वाद में वर्णित रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा । श्री मुनिस्वामप्पा वादियों का पड़दादा और प्रतिवादी सं. 1 का दादा था जो वाद अनुसूचित संपत्ति का पूर्ण स्वामी था । श्री मुनिस्वामप्पा ने प्रतिवादी सं. 1 एन. रेवन्ना के पक्ष में तारीख 5 जून, 1957 को 2 दान विलेख निष्पादित किए । दान विलेख को

मुनिस्वामप्पा द्वारा अपने पोता एन. रेवन्ना के पक्ष में निष्पादित किया गया था । दान विलेख में एक शर्त यह भी अंतर्विष्ट थी कि आदाता और इसके पश्चात् उसके छोटे भाइयों का अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रतिवादी सं. 1 एन. रेवन्ना ने प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में तारीख 7 अक्तूबर, 1985, तारीख 8 अक्तूबर, 1985 और तारीख 10 अक्तूबर, 1985 के विक्रय विलेखों को निष्पादित किया । प्रतिवादी सं. 6 और 7 परिसरों के किराएदार थे । वादियों-अपीलार्थियों द्वारा 1995 की मूल वाद सं. 11133 को प्रतिवादी सं. 2 से 5 और प्रतिवादी सं. 6 और 7 के रूप में क्रेता एन. रेवन्ना, प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध फाइल की गई थी जिसमें निम्नलिखित अनुतोषों का दावा किया गया है :–

"**प्रार्थना** :

(क) यह घोषणा की जाए कि वादी, वाद अनुसूचित संपत्तियों के पूर्ण स्वामी हैं या वैकल्पिक रूप में यह घोषणा की जाए कि वादियों में, वाद अनुसूचित संपत्तियों का हित वापस आ गया है,

(ख) यह घोषणा की जाए कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 1985, तारीख 8 अक्तूबर, 1985 और तारीख 10 अक्तूबर, 1985 के विलेख द्वारा प्रतिवादियों सं. 2 से 5 के पक्ष में अन्यसंक्रामण अकृत्य और शून्य है और उन्हें अपास्त किया जाता है क्योंकि वे इन वादियों पर बाध्यकारी नहीं हैं ।

(ग) प्रतिवादी सं. 6 और 7 से वाद अनुसूचित संपत्तियों का कब्जा लेने से प्रतिवादी सं. 2 से 5 को अवरुद्ध करते हुए और प्रतिवादी सं. 3 से 5 द्वारा वाद अनुसूचित संपत्तियों को विघटित करने से अवरुद्ध करते हुए भी स्थायी व्यादेश मंजूर किया जाए ।

(घ) प्रतिवादी सं. 2 से 5 को वाद अनुसूचित संपत्तियों का मद सं. 1 में समाविष्ट संपत्तियों जिन्हें उन्होंने श्री सुब्रमण्यिम और श्री सेल्वराज से कब्जे से लिया है, का खाली कब्जा प्रदान करने का निर्देश दिया जाए, और

(घ) खर्चे और ऐसे अन्य अनुतोषों को अधिनिर्णीत किया जाए

जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में ठीक समझता है ।"

3. वादियों का पक्षकथन यह था कि एन. रेवन्ना ने अपने दादा मुनिस्वामप्पा से तारीख 5 जून, 1957 के रजिस्ट्रीकृत दान विलेख द्वारा वाद संपत्तियों को प्राप्त किया था और दान विलेख के अनुसार, प्रतिवादी सं. 1 और उसके छोटे भाइयों जो जन्म ले सकते हैं, का वाद अनुसूचित संपत्तियों को अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । यह अभिवाक् किया गया था कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य है और वादी, प्रतिवादी सं. 1 का पुत्र और मुनिस्वामप्पा के पड़पोते होने के नाते संपत्तियों के पूर्ण स्वामी हैं । दोनों वादी, अवयस्क थे और वाद, उनके वाद मित्र और संरक्षक दादी श्रीमती जयम्मा द्वारा फाइल किया गया था ।

4. प्रतिवादी सं. 1 ने वादियों के पक्षकथन का समर्थन करते हुए, लिखित कथन फाइल किया, यह कथन करते हुए कि क्योंकि उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता थी और उसे यह सद्भाविक विश्वास था कि संपत्ति विक्रय करने में कोई विधिक अड़चन नहीं थी । प्रतिवादी सं. 7 ने भी लिखित कथन फाइल किया था । प्रतिवादी सं. 2 से 5 ने वादियों और उनके संरक्षक की सद्भावना को प्रश्नगत करते हुए एक सामान्य लिखित कथन फाइल किया था । उन्होंने यह अभिवाक् किया था कि वादियों को विक्रय करने के लिए विक्रेता द्वारा तैयार किया गया था । प्रतिवादी सं. 1 ने विक्रय से बचने की ईप्सा करते हुए, यह निरर्थक अभिवाक् किया है कि विक्रय विलेख में यह शर्त थी कि संपत्ति को प्रतिवादी द्वारा अन्यसंक्रामण नहीं किया जा सकता था । विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित पांच विवाद्यकों को विरचित किया था :–

"(1) क्या वादियों ने यह साबित कर दिया है कि क्या वादियों ने वाद अनुसूचित संपत्तियों में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है ?

(2) क्या वादियों ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिवादी सं. 1 को प्रतिवादी सं. 2 और प्रतिवादी सं. 5 के पक्ष में वाद अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं

है और यह कि उक्त अन्यसंक्रामण वादियों पर बाध्यकारी नहीं है ?

(3) क्या प्रतिवादियों ने यह साबित कर दिया है कि अन्यसंक्रामण करने से अवरुद्ध करने की शर्त, विधि में शून्य है ?

(4) क्या वादी, ईप्सित अनुतोष पाने के हकदार हैं ?

(5) क्या आदेश या डिक्री पारित किया जाए ?"

5. विवाद्यक सं. 1 और 2 के उत्तर, नकारात्मक दिए गए हैं और विवाद्यक सं. 3 का उत्तर, सकारात्मक दिया गया । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वादी यह साबित करने में असफल रहे हैं कि उन्होंने वाद संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है और वे यह भी साबित करने में असफल रहे हैं कि प्रतिवादी सं. 1 को संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । विचारण न्यायालय ने तारीख 31 नवम्बर, 2001 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा वादियों का वाद खारिज कर दिया था ।

6. वादियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नियमित प्रथम अपील फाइल की गई थी । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्टत: त्रुटि कारित की है कि प्रतिवादी सं. 1 पर अधिरोपित शर्त शून्य थी । उच्च न्यायालय ने यह मत अपनाया कि विक्रय विलेख के माध्यम से प्राप्त प्रतिवादी सं. 1 के फायदों को वापस वादियों को दिया जाना चाहिए था । उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए, वाद को भागत: मंजूर कर लिया था :-

"वादियों के लिए यह शर्त कि संपत्ति को उस विक्रय मूल्य पर कभी भी विक्रय नहीं किया जा सकता था जिसके लिए इसका विक्रय किया गया था, एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है । न्याय हित की यह मांग है कि वादियों को कम से कम उतना हक होना चाहिए था जितना कि रेवन्ना ने विक्रय विलेखों के अधीन प्राप्त किया था । एकमात्र यह चीज थी जिसका वादी हकदार हो सकते थे और तद्नुसार, यह डिक्री की जाती है कि वादी, विक्रय विलेखों के अधीन रेवन्ना द्वारा प्राप्त विक्रय प्रतिफल को पाने के हकदार हैं ।

वादी, प्रतिवादी सं. 1 से उन्हें प्राप्त करने के हकदार हैं । आगे, चूंकि प्रतिवादी सं. 2 से 5 इन परिस्थितियों को सृजित करने के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं इसलिए, न्याय हित में यह उचित होगा यदि उन पर सांकेतिक खर्चे अधिरोपित किए जाते हैं जो इस न्यायालय की राय में संयुक्त रूप से वादियों को देय 25,000/- रुपए के आदेश के रूप में होगा, यद्यपि, विधि में शर्त को शून्य अभिनिर्धारित नहीं किया गया था, जिस दशा में, उसके बाद यद्यपि, घटनाओं के क्रमवार को ध्यान में रखते हुए, वादी संपत्ति में स्वामित्व का दावा कर सकते थे और वर्तमान परिस्थितियों में, वादियों का संपत्ति को वापस पाने का दावा आवश्यक रूप से इनकार किए जाने योग्य है । पूर्ववर्ती में मंजूर अस्थायी व्यादेश का आदेश बातिल किया जाता है ।"

7. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर, वादियों ने यह अपील फाइल की है ।

8. अपीलार्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री जयंत कुमार सूद ने यह निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय ने वादियों के पक्ष में सभी विवाद्यकों का विनिश्चय करने के पश्चात् भी विक्रय विलेख को अकृत्य और शून्य घोषित नहीं करने और वादियों को संपत्ति वापस नहीं करने में विधि की त्रुटि कारित की है । यह निवेदन किया है कि जब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में मुनिस्वामप्पा द्वारा निष्पादित दान विलेख में यह शर्त थी कि आदाता, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार नहीं होगा, को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों के वैध शर्त के रूप में अभिनिर्धारित किया था तो यह स्वत: शून्य हो गया था और यह ऐसा घोषित करने योग्य था । उन्होंने यह निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं. 1 अपने दादा द्वारा निष्पादित दान विलेख में अपने जीवन-काल तक ही संपत्ति का उपभोग कर सकता था और वह संपत्तियों में से किसी का भी अन्यसंक्रामण नहीं कर सकता था ।

9. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि तारीख 5 जून, 1957 को प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित दान

विलेख, एक विधिमान्य दान विलेख नहीं था । यह प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में और अजन्में व्यक्तियों के फायदे के लिए दान विलेख होने के नाते संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 के अधीन शून्य था ।

10. प्रत्यर्थियों के विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री एस. एस. जावली ने अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा किए गए निवेदनों का खंडन करते हुए, यह दलील दी है कि तारीख 5 जून, 1957 का दान विलेख, एक विधिमान्य विलेख था और यह संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 का उल्लंघन नहीं करता है । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख की शर्त यह थी कि आदाता, संपत्ति अन्यसंक्रामण करने के लिए अर्ह नहीं होगा जो एक शून्य शर्त थी । उन्होंने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 का अवलंब लिया है । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि उच्च न्यायालय, यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि अन्यसंक्रामण नहीं करने की शर्त, शून्य नहीं थी ।

11. हमने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों पर विचार किया और अभिलेखों का परिशीलन किया ।

12. इस अपील में, विचार करने और उसका उत्तर देने के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि 'क्या प्रतिवादी सं. 1 को तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख के अधीन वाद संपत्तियों का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार था ?' विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दान विलेख में यह शर्त कि आदाता संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने के लिए अर्ह नहीं होगा, शून्य था और प्रतिवादी सं. 1 ने प्रतिवादी सं. 2 से 5 के पक्ष में विक्रय विलेखों को विधिमान्य तौर पर निष्पादित किया है । परिणामत:, विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया है । उच्च न्यायालय ने इसके विपरीत मत लिया कि दान विलेख की उपर्युक्त शर्त शून्य नहीं थी । आगे, उच्च न्यायालय ने दान विलेख को बातिल नहीं किया बजाय इसके वादियों को यह सीमित अनुतोष मंजूर किया कि वादी उस प्रतिफल को वापस पाने के हकदार हैं जिसे प्रतिवादी सं. 1 द्वारा तारीख 7 अक्तूबर, 1985, तारीख 8 अक्तूबर, 1985 और 10 अक्तूबर,

1985 के तीन विक्रय विलेखों के निष्पादन द्वारा प्राप्त किया गया था । शेष प्रार्थना के लिए वादियों का वाद खारिज कर दिया गया था ।

13. हम क्रमश: निवेदनों पर विचार करने के पूर्व, तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख के सुसंगत भागों का परिशीलन करना आवश्यक समझते हैं । दान विलेख को मुनिस्वामप्पा द्वारा नगर निगम सं. 324 और 325 के परिसरों का एकमात्र और पूर्ण स्वामी होने का दावा करते हुए निष्पादित किया गया था । प्रतिवादी सं. 1, एन. रेवन्ना अवयस्क था जिसकी आयु पांच वर्ष थी जिसका प्रतिनिधित्व उसके पिता, नैसर्गिक संरक्षक, एम. नारायणप्पा द्वारा किया गया था । दान विलेख का सुसंगत भाग निम्नलिखित है :–

> "अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि पूर्वोक्त करार के अनुसरण में और अत्यधिक प्रेम और स्नेह के एवज में, जो दाता द्वारा अपने पौत्र के लिए किया गया और आदाता के वंशज और आदाता के छोटे भाइयों और उनके पुरुष वंशज जो इसके पश्चात् जन्म ले सकते हैं, वह दाता तद्द्वारा, इसमें इसके पश्चात् उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन दान के रूप में, नगर निगम सं. 324, ओल्ड पूअर हाउस रोड, सिविल स्टेशन, बंगलौर के अधीन वर्णित अनुसूची में अचल संपत्ति को उपर्युक्त नामों में दान के माध्यम से अनुदान, हस्तांतरण, सौंपता और अंतरित करता है ।
>
> दाता, आदाता के साथ यह प्रसंविदा करता है कि इन प्रस्तुतियों की तारीख पर, संपत्ति जो अब दान के रूप में प्रदान की जाती है वह न्यायालय से सभी विलंगमों, धारणाधिकारों, प्रभारों और कुर्कियों से सभी प्रकार से स्वतंत्र होगी और यह दान के रूप में इसे प्रदान करने के लिए उसे पूर्ण और निर्बाध अधिकार है और यह कि किसी भी व्यक्ति को इसे प्रश्नगत करने का कोई अधिकार नहीं है ।
>
> आज के दिन, विधि के अनुसरण में, तद्द्वारा, दाता, आदाता को दान में दी गई संपत्ति का कब्जा सौंपता है जिसका, आदाता इस तारीख को और से उपभोग करेगा जिस पर वह इसमें इसके

पश्चात् वर्णित शर्तों के अध्यधीन स्वामित्व के सभी अधिकारों का प्रयोग कर सकती है अर्थात् :-

1. आदाता या उसके छोटे भाइयों, जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं, को किसी तरीके से चाहे विक्रय, दान, बंधक या अन्यथा, जो भी हों, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार नहीं है ।

2. दाता या उसके छोटे भाइयों, जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं, अपने या अपने जीवन-काल के दौरान, जैसी भी दशा हो, संपत्ति का उपभोग करेंगे और उसके या उनकी मृत्यु हो जाने पर या उसके या उनके पुरुष बच्चों को जो उसके बाद जीवित रहते हैं, को न्यायगत हो जाएगी, जिन्हें अप्रभावित दान के संबंध में, इसमें इसके अधीन उल्लिखित अनुसूचित संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी ।

3. यदि आदाता या उसके छोटे भाई या भाइयों जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं, की संतानरहित मृत्यु हो जाती है तो तद्द्वारा, दान में दी गई उक्त संपत्ति श्री सोमेश्वर टेम्पल उल्सूर, सिविल स्टेशन, बंगलौर के श्री सोमेश्वर स्वामी को उक्त मंदिर के फायदों के लिए न्यायगत हो जाएगी ।"

14. दान विलेख में सुस्पष्टत: यह कथित है कि 'दाता तद्द्वारा, शपथपूर्वक इसके अधीन अनुसूची में वर्णित अचल संपत्ति को उपर्युक्त नामित आदाता को दान के माध्यम से अनुदान, हस्तांतरण, सौंपता और अंतरित करता है' । दाता के पक्ष में दान विलेख, पूर्ण था और वह दान विलेख में वर्णित शर्तों के अध्यधीन स्वामित्व के अधिकारों का प्रयोग कर सकता था । शर्तों में से एक शर्त जो दान विलेख में वर्णित थी, यह थी कि 'आदाता या उसके छोटे भाइयों जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं, को किसी तरीके, विक्रय, दान, बंधक या अन्यथा, चाहे जो भी हो, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का अधिकार नहीं है ।

15. दान विलेख में यह भी कथित है कि 'आदाता या उसके छोटे भाइयों जो इसके पश्चात् उत्पन्न हो सकते हैं वे अपने या अपने जीवन-काल के दौरान, जैसी भी दशा हो, संपत्ति का उपभोग करेंगे और उसके या उनकी मृत्यु होने पर यह उसके या उनके पुरुष बच्चे जो उसके बाद जीवित रहते हैं, को न्यायगत हो जाएगी जिन्हें किसी तरीके से इसके अधीन अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के साथ संव्यवहार करने की स्वतंत्रता होगी ।

16. इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना है कि क्या प्रतिवादी सं. 1 जिसे अनुसूचित संपत्ति दान में दी गई थी, को किसी तरीके से, चाहे जो भी हो, अनुसूचित संपत्ति का अन्यसंक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था । प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 का अवलंब लिया गया है, जो इस प्रकार है :-

> "**10. अन्यसंक्रामण अवरुद्ध करने वाली शर्त** - जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अध्यधीन अंतरित की जाती है, जो अन्तरिती या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनित करने से आत्यन्तिकत: अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है, सिवाय ऐसे पट्टे की दशा के जिसमें कि वह शर्त पट्टाकर्ता या उसके अधीन दावेदारों के फायदे के लिए हो :
>
> परंतु, किसी स्त्री को (जो हिन्दू, मुसलमान या बौद्ध न हो), या उसके फायदे के लिए इस प्रकार अंतरित की जा सकेगी कि उसे अपने विवाहित स्थिति के दौरान उस संपत्ति को या उसमें अपने फायदाप्रद हित को अंतरित या भारित करने की शक्ति न होगी ।"

17. धारा 10 अभिव्यक्तत: यह उपबंध करती है कि जहां संपत्ति, जहां की संपत्ति ऐसी शर्त या मर्यादा के अध्यधीन अंतरित की जाती है, जो अन्तरिती या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को संपत्ति में अपने हित को अलग करने या व्ययनित करने से आत्यन्तिकत: अवरुद्ध करती है, वहां ऐसी शर्त या मर्यादा शून्य है । धारा 10 के अनुसार, कोई शर्त जो अंतरिती के अन्यसंक्रामण करने के अधिकार को अवरुद्ध करती

है, शून्य है । संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 के स्पष्ट परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख में यह शर्त कि प्रतिवादी सं. 1 संपत्ति का अन्यसंक्रामण नहीं करेगा, शून्य शर्त है ।

18. प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल ने **श्रीमती बृज देवी** बनाम **शिव नंद प्रसाद और अन्य**[1] वाले मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का सही तौर पर अवलंब लिया है जिसमें उच्च न्यायालय को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 और 126 पर विचार करने का अवसर मिला था । उपर्युक्त मामले में भी, ऐसा दान विलेख विचार के लिए आया था जिसमें एक शर्त यह थी कि 'आदाता या उसके उत्तराधिकारियों को अंतरण या बंधक करने का कोई अधिकार नहीं होगा । उच्च न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित अधिकथित किया था :–

> "अब संपत्ति अंतरण के संबंध में, शर्तों की विधि, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अध्याय 2 में अंतर्विष्ट है । इसलिए, हमारे निर्णय में, आदाता पर कोई शर्त अधिरोपित नहीं की गई है जो विधिमान्य हो सकती है, यदि वह संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 10 के उपबंधों से असंगत है । वादियों के विद्वान् काउंसेल की यह दलील कि धारा 126, धारा 10 का एक पूर्ण अपवाद है और पूर्ववर्ती धारा के निबंधनों को ध्यान में रखते हुए, दाता, आदाता द्वारा अन्य संक्रामण करने की किसी दशा को रोकने के लिए उसे हकदार बनाने वाले किसी शर्त पर अधिरोपित करने का हकदार होता है, परंतु, यह कि हमारे निर्णय में दाता की इच्छा पर निर्भर करने की दशा में यह अयुक्तियुक्त है । न्यायालयों का यह कर्तव्य होता है कि वह अधिनियमिति की प्रत्येक धारा को प्रभावी बनाने का प्रयास करे । हम धारा 10 और धारा 126 के उपबंधों का समाधान करने में कोई कठिनाई नहीं देखते हैं । धारा 10 में यह साधारण सिद्धांत समाविष्ट है कि अचल संपत्ति का

---

[1] ए. आई. आर. 1939 इला. 221.

अंतरण करते समय अंतरिती को पूर्ण हित हस्तांतरण करते हुए अन्यसंक्रमाण करने से अवरुद्ध करने की शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती है सिवाय उस पट्टे की दशा में जहां शर्तें पट्टाकर्ता के फायदे के लिए हैं । हमारे निर्णय में यह साधारण उपबंध सभी अंतरणों जिसमें दान सम्मिलित है, को लागू होता है । पट्टेदार द्वारा अन्यसंक्रामण करने से अवरुद्ध करने के शर्त के अलावा कोई अन्य अपवाद नहीं है ।"

19. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **श्रीमती प्रेम काली** बनाम **चकबंदी, उप निदेशक, सीतापुर और अन्य**[1] वाले पश्चात्वर्ती मामले में, उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती निर्णय का अनुसरण लिया है । पैराग्राफ 15 में निम्नलिखित अधिकथित किया गया था :-

"15. अधिनियम, 1882 की धारा 10 और 126 के मूल परिशीलन से यह दर्शित होता है कि धारा 10 में यह अधिकथित है कि अंतरण में, अन्यसंक्रामण अवरुद्ध करने की शर्त, अंत:स्थापित नहीं किया जा सकता है । अधिनियम, 1882 की धारा 126 में यह अधिकथित है कि कतिपय शर्त होना दाता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, दान को स्थगित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है । वर्तमान मामला, धारा 126 के अधीन नहीं आता है । प्रत्यर्थी के अनुसार, दान सशर्त हो सकता है । किन्तु, यह प्रश्न नहीं है कि क्या दान सशर्त हो सकता है किन्तु, वास्तविक प्रश्न यह है कि शर्त, जिसे अधिनियम, 1882 की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्टत: प्रतिषिद्ध किया गया है, दान में अधिरोपित किया जा सकता है या नहीं । यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण नहीं है कि शर्त, जिसे अधिनियम, 1882 की धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्टत: प्रतिषिद्ध किया गया है, दान में लागू नहीं होता है । यह प्रश्न, समय-समय पर निम्नलिखित उल्लिखित मामलों में कतिपय न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए आया है, अर्थात् : रि दुगदले (1988) 38 चैम्बर, डी. 176, नबाब अमिरुद्दौला **बनाम** नतेरी

---

[1] (2016) 116 ए. एल. आर. 794.

(1876) 6 मद्रास उच्च न्यायालय 356 (मोहम्मडन लॉ), अनंत **बनाम** नागामुथु (1982) आई. एल. आर. 4 मद्रास 200, अली हसन **बनाम** धीरजा (1882) आई. एल. आर. 4 इला. 518, भैरो **बनाम** परमेशरी (1885) आई. एल. आर. 7 इला. 516, मुथुकमारा **बनाम** एंथोनी (1915) आई. एल. आर. 38 मद्रास 867, 24 आई. सी. 120, नारायनन **बनाम** कन्नन (1884) 7 मद्रास 315, बृज देवी **बनाम** शिव नंद प्रसाद, ए. आई. आर. 1939 इला. 221, ज्ञानी राम **बनाम** बालमकंद (1956) 58 पुंज एल. आर. 114 = ए. आई. आर. 1956 पुंज 255, रामासामी और अन्य **बनाम** विल्सन मशीन वर्क्स, ए. आई. आर. 1994 मद्रास 222 (एनओसी), जगदेव शर्मा **बनाम** नंदन महतो, ए. आई. आर. 1982 पटना 32 और गोराचंद मुखर्जी **बनाम** श्रीमती मालाबिका दत्त, ए. आई. आर. 2002 कलकत्ता 26 । इस न्यायालय ने पहले ही यह मत अपनाया है कि दान का अन्यसंक्रामण करने से आदाता को अवरुद्ध करने की शर्त अधिरोपित नहीं की जा सकती है और ऐसी शर्त, अधिनियम, 1882 की धारा 10 के अधीन शून्य होती है । मैं, बृज देवी (उपर्युक्त) वाले मामले में अपनाए गए पूर्वोक्त मत से सादरपूर्वक सहमत हूं ।"

20. अब, हम अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल द्वारा दिए गए इस निवेदन पर विचार करते हैं कि दान विलेख, संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 का उल्लंघन करता है । संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13, निम्नलिखित उपबंध करता है :-

"**धारा 13. अजात व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण** - जहां की संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में कोई हित उसी अंतरण द्वारा सृष्ट किसी पूर्विक हित के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए, जो अंतरण के तारीख को अस्तित्व में न हो, सृष्ट किया जाता है, वहां ऐसे व्यक्ति के फायदे के लिए सृष्ट हित प्रभावी न होगा । जब तक कि उसका विस्तार संपत्ति में अंतरक के संपूर्ण अवशिष्ट हित पर न हो ।"

21. दान विलेख जैसा कि उपर्युक्त उल्लिखित है, के परिशीलन से यह उपदर्शित होता है कि मुनिस्वामप्पा ने अपने पोते एन. रेवन्ना को अचल संपत्ति दान में दी थी । दान, किसी अजन्में व्यक्ति के पक्ष में नहीं था बजाय इसके कि दान एन. रेवन्ना के पक्ष में था जो एक अवयस्क था, जिसकी आयु 5 वर्ष थी । आदाता और उसके छोटे भाइयों या उनके पुरुष बच्चों के प्रति निर्देश, दान विलेख में यथा अंतर्विष्ट शर्तों को वर्णित करते समय किया गया था । शर्त, आदाता और उसके छोटे भाइयों जो दान विलेख के निष्पादन के पश्चात् उत्पन्न हो सकते थे, पर अधिरोपित किए गए थे । अजन्में व्यक्तियों पर अधिरोपित शर्त उन व्यक्तियों के पक्ष में जो अस्तित्व में हैं, के पक्ष में दान विलेख का निष्पादन संपूर्णत: भिन्न है । इस प्रकार, दान, स्पष्टत: प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में था और न कि अजन्में व्यक्तियों के पक्ष में था, इस प्रकार, धारा 13, वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होती है ।

22. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 13 पर आधारित अपने निवेदन के समर्थन में **एफ. एम. देवारु गणपति भट्ट** बनाम **प्रभाकर गणपति भट्ट**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है । दान विलेख, जो पूर्वोक्त मामले में विचार के लिए आया है, निर्णय के पैराग्राफ 4 में परिलक्षित किया गया है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है :-

> "4. दान विलेख में, दाता अपने जीवन काल तक के लिए संपत्ति सर्वे सं. 306 को धारण किया है । शर्त यह है कि महादेवी की मृत्यु होने पर दान विलेख के सही अवसंरचना पर, अपीलार्थी संपत्ति सर्वे सं. 306 का पूर्ण स्वामी हो गया । प्रत्यर्थी का इस पर कोई अधिकार नहीं रह गया । इसका उत्तर, दान विलेख की अवसंरचना पर निर्भर करता है । मूल दान विलेख, कन्नड़ भाषा में है । जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो यह इस प्रकार है :-

---

[1] (2004) 2 एस. सी. सी. 504.

श्रीमती महादेवी पत्नी सुब्रय्या भट्ट, आयु लगभग 25 वर्ष, व्यवसाय गृहणी, हवायका समुदाय से संबंधित, निवासी- केरामने, ग्राम- यलुगर, ताल्लुक- सिद्धापुर, द्वारा तारीख 9 सितम्बर, 1947 को ग्राम में स्थित अचल संपत्तियों और गृह का यह दान विलेख देवारु गणपति भट्ट, आयु लगभग 13 वर्ष निवासी - केरामने, ग्राम - यलुगर, ताल्लुक - सिद्धापुर, के पक्ष में निष्पादित किया गया ।

जबकि, मैं नीचे उल्लिखित अचल संपत्तियों और गृह का स्वामी हूं । नीचे उल्लिखित संपत्तियों और गृह के हित को संरक्षित करने के अनुक्रम में, मैं समुचित व्यक्ति के पक्ष में दान के माध्यम से सभी संपत्तियों को दान करने के बारे में सोच रहा हूं । क्योंकि तुम मेरे भाई के पुत्र हो और तुमसे मेरा स्नेह और प्रेम भी है और क्योंकि भूमि और गृह पहले से ही तुम्हारी पैतृक संपत्ति भी है, अतएव, मैं तुम्हें इसमें की अचल संपत्ति और गृह को दान करने का विनिश्चय करता हूं ..... । यदि तुम्हारे माता-पिता से कोई और पुरुष बच्चे जन्म लेते हैं तो तुम संयुक्त धारक के रूप में उन पुरुष बच्चों के साथ वर्णित संपत्ति और गृह का उपभोग करोगे । इसलिए, अचल संपत्तियों, गृह इत्यादि का यह दान विलेख निष्पादित किया गया है ..... ।"

23. उपर्युक्त मामले में दान विलेख भी देवारु गणपति भट्ट, आयु लगभग 13 वर्ष के पक्ष में निष्पादित की गई थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि उपर्युक्त मामले के तथ्यों में धारा 13 लागू नहीं होती है । निर्णय के पैराग्राफ 12 में निम्नलिखित अधिकथित किया गया है :-

"12. अजन्में व्यक्ति के पक्ष में हित का अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । धारा 20, उस अजन्में व्यक्ति के फायदे के लिए हित सृजित करने की अनुज्ञा देती है जो अपने जन्म होने पर हित अर्जित करता है । ऐसा कोई उपबंध हमारी नोटिस में नहीं लाया गया है जो यह अनुध्यात करता है कि अजन्में व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति में पूर्ण हित सृजित नहीं किया जा सकता है । धारा

13 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होती है । वर्तमान मामले में, दाता ने अपीलार्थी के पक्ष में संपत्ति दान की है, उसके बाद जीवित रहने वाले व्यक्तियों के पक्ष में और यह भी अनुध्यात किया है कि यदि अन्य पुरुष, बच्चें उसके भाइयों से बाद में उत्पन्न होते हैं तो वे भी अपीलार्थी के साथ संयुक्त धारक होंगे । ऐसा अनुबंध, अधिनियम, 1882 की धारा 13 का उल्लंघन नहीं करता है । ऐसे अधिकार का सृजन, अधिनियम, 1882 की धारा 20 के अधीन अनुज्ञेय है । इस प्रकार, प्रत्यर्थी का जन्म होने पर वह संपत्ति का हकदार हो गया । इस मत को ध्यान में रखते हुए, द्वितीय दलील में भी कोई सार नहीं है ।"

24. इस न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय स्पष्टत: प्रत्यर्थियों के विद्वान् काउंसेल के इस निवेदन का समर्थन करता है कि वर्तमान मामले में, धारा 13 लागू नहीं होती है ।

25. पूर्ववर्ती चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह स्पष्ट राय है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की है कि प्रतिवादी सं. 1 उस संपत्ति का अंतरण करने का हकदार नहीं था जिसे उसने तारीख 5 जून, 1957 के दान विलेख द्वारा प्राप्त किया था । वादी उस घोषणा के लिए हकदार नहीं है जैसा कि उन्होंने वाद में ईप्सित किया है । इस अपील में कोई गुणागुण नहीं है । तद्नुसार, अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

क.